

वर्ष 2016-2017 की बजट गतिविधियों एवं वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमान की तैयारी का अंतिम बजट कार्यक्रम

नोट:-वित्त विभाग के परिपत्र क्र० 1130/1497/2016/ब-1/चार, दिनांक 17/11/2016 द्वारा वार्षिक वित्त विवरण वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेतर के मध्य विभेदीकरण की समाप्ति के संबंध में जारी किया गया है। अतः निम्नानुसार बजट कार्यक्रम निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है।

1	10 दिसम्बर, 2016	राजस्व प्राप्तियों/वसूलियों के बजट अनुमान 2017-18 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होना।
2	15 दिसम्बर, 2016	बजट प्रस्ताव वर्ष 2017-18 एवं नवीन मद के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
3	15 दिसम्बर, 2016 तक	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले विवरण की जानकारी विभागों से प्राप्त होने की अंतिम तिथि
4	15 दिसंबर, 2016 से 26 दिसंबर, 2016 तक	प्राप्तियों तथा व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा
5	10 जनवरी, 2017	माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री प्राप्त होने की अंतिम तिथि
6	05 जनवरी, 2017	परिणामी बजट/जेंडर बजट से संबंधित जानकारी वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
7	10 जनवरी, 2017 से 20 जनवरी, 2017 तक	विभागीय सचिवों के साथ प्राप्तियों/व्यय के बजट प्रस्तावों पर वित्त सचिव स्तर पर चर्चा
8	10 जनवरी, 2017 तक	राज्य शासन द्वारा वर्ष 2015-16 में की गई भूमि आवंटन (रियायती) तथा दिनांक 31 दिसंबर, 2016 तक बकाया गारंटी की जानकारी वित्त विभाग में प्राप्ति।
9	15 जनवरी, 2017 से 20 जनवरी, 2017 तक	अपर मुख्य सचिव, वित्त के साथ विभागीय अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों की चर्चा
10	25 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2017 तक	आवश्यकतानुसार माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अन्य विभागों के माननीय मंत्रीगणों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा
11	10 फरवरी 2017	तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि
12	31 मार्च, 2017	प्रशासकीय विभागों द्वारा 31.3.2016 तक वर्ष 2016-17 हेतु पुनर्विनियोजन/समर्पण के पारित आदेश वित्त विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तिथि

विशेष सूचना:-

वर्ष 2017-2018 के बजट में कोई अपरीक्षित व्यय का नवीन मद सम्मिलित नहीं किया जावेगा और न ही पुनर्विनियोजन प्रस्ताव कार्यक्रम में अंकित तिथि के बाद मान्य किया जावेगा, विभागों से निवेदन है कि समय सारणी का कड़ाई से पालन करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अजीत

(अजीत प्रकाश श्रीवास्तव)

अपर मुख्य सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 18/11/2016

पृ० क्र० 1142/ आर 815/11/ब-1/चार/
प्रतिलिपि:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
4. संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मंत्रालय, भोपाल
5. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर
7. वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
8. समस्त अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. स्टाफ आफिसर/निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/संचालक बजट/
वित्त विभाग

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

अदिति

(अदिति कुमार त्रिपाठी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग